



सं बी-20018/1 / 2008-09 / एनसीआरपीबी

सेवा में

सूची के अनुसार ।

विषय:- एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा जारी ऋण सहायता पर ब्याज दर और नियम व शर्तों में परिवर्तन।

मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा जारी ऋण सहायता पर ब्याज दर और नियम व शर्तों में निम्नलिखित संशोधन किया गया है :-

क्रम सं	परियोजनाओं की प्रकार / श्रेणी	ब्याज दर		समय सीमा	
		वर्तमान ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर *	वर्तमान	संशोधित
(i)	प्राथमिकता इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना अर्थात जल आपूर्ति, सीवरेज, सफाई, जल निकासी, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	7.50% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष	15 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 3 साल का स्थगन काल सहित)	15 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 3 साल का स्थगन काल सहित)
(ii)	सड़क, आर. ओ. बी. / आर. यू. बी. एवं एक्सप्रेसवे, सस्ती / ईडब्ल्यूएस हाउसिंग	7.50% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)
(iii)	मेट्रो / रैपिड रेल / आर. आर. टी. एस.	7.50% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)	20 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 5 साल का स्थगन काल सहित)
(iv)	पावर सेक्टर परियोजनाओं उत्पादन, पारेषण और वितरण	7.50% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)
(v)	भूमि विकास परियोजनाओं आवासीय / औद्योगिक / वाणिज्यिक और अन्य बुनियादी सुविधाओं अर्थात। तकनीकी / चिकित्सा संस्थानों	9.25% प्रति वर्ष	8.50% प्रति वर्ष	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)	10 वर्ष की अधिकतम अवधि (मूल राशि के भुगतान के लिए 2 साल का स्थगन काल सहित)

* एनसीआरपीबी ब्याज की दर और नियम व शर्तों में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

Contd ... 2

2. ब्याज की यह संशोधित दरे ऋण किश्तों के सभी ताजा रिलीज (नई / चल रही परियोजनाओं के लिए) लागू होंगे हैं। ऋण किश्तों की चुकौती अनुसूची (रीपेमेंट शिड्यूल) के अनुसार, समय पर भुगतान हेतु, ब्याज दर में कमी (0.25%) की छूट, उपलब्ध होगी।
3. जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए मंजूर, परियोजना लागत का 15 % तक अनुदान (बोर्ड द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों को पूरा करने पर) को जारी रखा जाएगा।
यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया।


(सुशील पुरोहित)

निदेशक (ए एंड एफ)

